न्यायालयः तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बालाघाट, जिला-बालाघाट (म०प्र०) { पीठासीन अधिकारी : अपर्णा आर.शर्मा }

<u>व्यवहार वाद क्र. 177–ए/2017</u> <u>संस्थापन दि. 15.12.2017</u> फाईलिंग.नं. आर.सी.एस.ए/931/2017

/ / विरूद्ध 🗡

श्रीमती कलाबाई पति अनतलाल उर्फ अमृतलाल, निवासी वार्ड नं. 29 जयप्रकाश कॉलोनी,

जिला बालाघाट......<u>अनावेदकगण / प्रतिवादीगण</u>

1. अावेदक / वादी द्वारा श्री जितेन्द्र मंगलानी <mark>अधि</mark>वक्ता। 2. अनावेदक / प्रतिवादी द्वारा श्री एच.नाथ अ<mark>धिवक्ता</mark>।

//आदेश //

{ आज दिनांक 19.01.2018 को पारित }

- 1. इस आदेश द्वारा आवेदक / वादी की ओर से पेश आवेदन पत्र आदेश—39 नियम—1 व 2 तथा धारा—151 सी.पी.सी. आई.ए.नम्बर—1 का निराकरण किया जा रहा है।
- आवेदक / वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन आई.ए.नम्बर–1 संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक / वादी की खसरा क्रमांक 87 / 3क, 3ख एवं 3ग की भूमि की उत्तर दिशा में स्थित वाद भूमि (जो कि आवेदक की भूमि में आने जाने का एकमात्र रास्ता है) पर अवैध कब्जा स्थापित करने की नियंत से अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कार्य कर रहा है, आवेदक ने तहसीलदार बालाघाट के न्यायालय के समक्ष धारा 248 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत राजस्व प्रकरण क्रमांक 134—68 / 2017—18 पक्षकार ''पंकज वैद्य विरूद्ध कलाबाई विरूद्ध अन्य एक'' प्रस्तुत किया तथा संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन पुत्र प्रस्तुत कर निर्माण कार्य रोके जाने हेत् स्थगन आदेश जारी किए जाने हेत् निवेदन किया गया है। उपरोक्त राजस्व प्रकरण में तहसीलदार बालाघाट के न्यायालय द्वारा संबंधित पटवारी से मौका जांच प्रतिवेदन आहूत किया गया। संबंधित पटवारी द्वारा दिनांक 05.12.2017 को स्थल निरीक्षण / मौके की जांच की गई तथा दिनांक 05.12.17 को अपनी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि अनावेदक को ग्राम सरेखा, हल्का क्रमांक 13/1 के अंतर्गत खसरा कं. 87/1 की शासकीय(आबादी भूमि) में पट्टा प्राप्त हुआ है परंतु अनावेदक द्वारा वाद भूमि जो कि सड़क मद की शासकीय भूमि है, पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। उक्त पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर, तहसीलदार द्वारा अनावेदक के विरूद्ध दिनांक 05.12.17 को स्थगन आदेश जारी कर अनावेदक को किया जा रहा अवैध निर्माण कार्य बंद किए जाने

हेतु आदेशित किया गया।

- आवेदक / वादी ने आगे यह अभिवचन किया है कि अनावेदक द्वारा स्थगन आदेश का अनुपालन न करने और निर्माण कार्य बंद न करने पर आवेदक ने पुलिस थाना कोतवाली बालाघाट को स्थगन आदेश की प्रति दिखाकर निर्माण कार्य बंद कराने हेतु सहायता चाही परंतु पुलिस ने कोई सहायता नहीं की विवश होकर दिनांक 09.12.2017 को आवेदक ने पुलिस अधीक्षक बालाघाट से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उन्हें अपनी व्यथा बताई जिस पर पुलिस अधीक्षक बालाघाट द्वारा थाना कोतवाली बोलाघाट को दुरभाष पर तत्काल निर्देश जारी किए गए, पुलिस अधीक्षक बालाघाट के निर्देश पर थाना बालाघाट पुलिस ने आवेदक के साथ जाकर दिनांक 09.12.2017 की रात्रि को अनावेदक का निर्माण बंद कराया, लेकिन दिनांक 10.12.2017 की सुबह पुनः अनावेदक ने निर्माण कार्य पुनः प्रारंभ कर दिया और तब से आज भी लगातार करता आ रहा है। अनावेदक को वस्तुतः खसरा क्रमांक 87/1 की शासकीय आबादी भूमि में से कुल 24 वर्गमीटर क्षेत्रफल का पट्टा मुख्यमंत्री आश्रय योजना 2013 के अंतर्गत प्राप्त हुआ है, आवेदक की खसरा कं 87/3क, 3ख एवं 3ग की पूर्व दिशा में खसरा कमांक 87/4क एवं 87 / 4खं की भूमि स्थित है और खसरा क्रमांक 87 / 10 की शासकीय आबादी भूमि खसरा कं. 87/4 क एवं 4ख की पूर्व दिशा में स्थित है परंतु अनावेदक द्वारा आवेदक की उपरोक्त खसरा क्रमांकों की भूमि की उत्तर दिशा में स्थित खसरा क्रं. 87 / 2 की सड़क मद की भूमि(वाद भूमि) पर अवैध रूप से बलपूर्वक लगातार निर्माण कार्य किया जा रहा है।
- आवेदक / वादी ने आगे यह अभिवचन किया है कि आवेदक की खसरा कं. 87/3क, 3ख एवं 3ग की भूमि में आने जाने का एकमात्र रास्ता खसरा कं. 87 / 2 की शासकीय सड़क मद की भूमि (वाद भूमि) में से है। आवेदक की भूमि की उत्तर दिशा में सड़क स्थित है, इसके संबंध में आवेदक के पिता श्री शिखरचंद वैद्य के पंजीयत विक्रय पत्र दिनांकित 16.11.1998 में भी स्पष्ट प्रविष्टि दर्ज है। अनावेदक को आवेदक की खसरा क्रमांक 87/3क, 3ख एवं 3ग की भूमि की उत्तर दिशा में स्थित आने जाने का एकमात्र रास्ता अर्थात खसरा कं 87/2 की शासकीय सड़क मद की भूमि(वाद भूमि) में निर्माण कार्य करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है परंतु अनावेदक द्वारा न केवल अवैध एवं अनुचित ढंग से, उसे पट्टे पर प्राप्त भूमि से भिन्न स्थान पर अन्यत्र खसरा क्रमांक की भूमि पर बलपूर्वक निर्माण कार्य किया जा रहा है, वरन राजस्व अधिकारी के आदेश को भी मानने से इंकार कर रही है, इस कारण आवेदक के लिए यह वाद संस्थित करना आवश्यक हो गया है। वाद का अंतिम निराकरण होने में अत्यधिक समय लगना अधिसम्भाव्य है यदि अनावेदक द्वारा अवैध और अनुचिते ढंग से बलपूर्वक वाद भूमि में किया जा रहा निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गुया तो न केवल आवेदक के वाद प्रस्तुति का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा अपितु आवेदक का अपनी खसरा कं. 87/3क, 3ख एवं 3ग में आने जाने का एकमात्र रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा, जिससे कारित क्षति अपरिमित होगी और इस क्षति की पूर्ति द्रव्य में किया जाना असंभाव्य है। इस तरह क्षति का बिंदु आवेदक के पक्ष में है। आवेदक का वाद दस्तावेजों पर आधारित है तथा प्रथम दृष्टया वाद आवेदक के पक्ष में है। अनावेदक का अवैध निर्माण कार्य अभी प्रारंभिक स्तर पर है, जिसे रोक दिए जाने से अनावेदक को किसी तरह की असुविधा या कठिनाई नहीं होगी वरन निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने से आवेदक का अपने खसरा के 87/3क, 3ख एवं 3ग में आने जाने का एकमात्र

रास्ता अवरूद्ध हो जाएगा, इस तरह सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में है। अनावेदक के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर उसे वाद का अंतिम निराकरण होने तक अवैध और अनुचित ढंग से बलपूर्वक वाद भूमि में स्वयं अथवा अपने किसी अभिकर्ता के माध्यम से निर्माण कार्य करने, रास्ता अवरूद्ध करने, हस्तक्षेप करने से अस्थाई रूप से निषेधित किया जाए।

5. अनावेदक / प्रतिवादी ने वादी / आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन का जवाब प्रस्तुत करते हुए विशिष्ट कथन में यह अभिवचन किया है कि विवादित स्थल पर अनावेदक भूमि हीन व अति गरीब होने के कारण एक झोपड़ी बनाकर पिछले 15-20 वर्षों से निवास करते चला आ रहा है विदित हो कि जिस भूमि पर आवेदक निवास करते चला अया वह भूमि शासकीय नजूल भूमि है, जिसका मालिक राज्य व राज्यपाल के प्रतिनिधि के रूप में जिला कलेक्टर होता है। अनावेदक की हालत बद से बदतर है एवं आर्थिक स्थिति में होने के कारण अनावेदक को अधिकार पत्र माननीय मुख्य मंत्री आश्रय योजना के अंतर्गत दिनांक 30.07.2013 को उक्त नजूल भूमि का आवासीय पट्टा प्रदान कर उसे बकायदा अधिकार पत्र प्रदान किया गया है एवं माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना 2017 के अंतर्गत माननीय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद बालाघाट के द्वारा स्वीकृति पत्र भी प्रदान किया गया है और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए धनराशि प्रदान करने सहित निर्माण का नक्शा भी उपयंत्री नगर पालिका परिषद द्वारा प्रदान कर निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रकार विधिवत अधिकार प्राप्त होने के बाद ही अनावेदक ने अपने झोपडी के स्थान पर निर्माण कार्य करना आरंभ किया है विदित हो कि जहां पर अनावेदक का निर्माण हो रहा है उक्त निर्माण आवेदक की भूमि खसरा नंबर 87/3क, व 87/3ख, एवं 87/3ग की उत्तरी सीमा से 15 फीट की दूरी पर पट्टे में अंकित चौहदी(चतुरसीमा) के अंतर्गत हो रहा है। आवेदक / वादी अनावेदक के निर्माण को अवैध व अनाधिकृत ढंग से अनावेदक को शासन द्वारा अलग पट्टे की भूमि को हड़प करने की नियत से झूठा कथन करते हुए प्रस्तुत आवेदन एवं दावा पेश किया है जो कानूनन टिनेबल(विधि मान्य) नहीं है और आवेदक / वादी को अनावेदक के कब्जे वाली नजूल पट्टे शुदा भूमि के संबंध में वाद प्रस्तुत करने की कोई लोकस इंस्टेंडाई नहीं है। उपरोक्त परिस्थितियों में आवेदक / वादी का आवेदन व दावा प्रथम दृष्ट्या ही निरस्त किये जाने योग्य है। वर्तमान में भीषण ठंड पड़ रही है और अनावेदक के मकान का निर्माण किये जाने हेतू झोपड़ी को हटा कर उक्त स्थल पर निर्माण किया जा रहा है ऐसी स्थिति में अनावेदक व उसके परिवार को भीषण ठंड का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी अनावेदक के पक्ष में है। आवेदक का आवेदन माननीय तहसीलदार के समक्ष प्रस्तृत होने के एक दिन पहले ही पटवारी से दिनांक 17.11.2017 के आवेदन पर जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर स्थगन आदेश पारित किया गया जो आवेदक वादी के प्रभाव व उसकी पहुंच को स्पष्ट करता है। सिविल वाद पेश हो जाने के बाद भी तहसीलदार द्वारा दिनांक 30.11.17 को अंतिम पटवारी प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने के बाद भी स्थगत आदेश जारी रखा है जबकि पटवारी प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अनावेदक का निर्माण जो प्रस्तुत प्रकरण में विवादित है से 16 फीट दूरी पर दक्षिण तरफ खसरा कं. 87/3क, 87/3ख, एवं 87/3ग स्थित है। अतः आवेदक/वादी का दावा निरस्त किया जावे। 🎊

6. विचारणीय प्रश्न निम्न हैं :--

- 1— क्या प्रथमदृष्टया मामला वादी / आवेदक के पक्ष में सुदृढ़ है ?
- 2- क्या सुविधा का संतुलन वादी / आवेदक के पक्ष में है ?
- 3— क्या वादी / आवेदक को अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना है ?

सकारण निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क. 1, 2, 3 के संबंध में:-

- सुविधा की दृष्टि से तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। आवेदक वादी ने यह आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि उसके द्वारा अनावेदक प्रतिवादी के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया है कि उसके स्वयं के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि खसरा कं. 87 / 3क, 3ख, 3 ग की भूमि पर अवैध कब्जा स्थापित करने की नियत से निर्माण कार्य किया जा रहा है। आवेदक ने इस संबंध में तहसीलदार को कार्यवाही हेतू धारा 250 म.प्र.भू.राजस्व संहिता के अंतर्गत आवेदन दिया था, जिसमें की तहसीलदार बालाघाट के द्वारा निर्माण कार्य रोके जाने हेतु स्थगन आदेश जारी किया गया किंतु इसके पश्चात् भी अनावेदक के द्वारा निर्माण कार्य नहीं रोका गया, दिनांक 29.11.17 को पटवारी के द्वारा मौके पर जांच की गई और उसके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक के द्वारा ग्राम सरेखा हल्का कं. 13/1 के अंतर्गत खसरा नं. 87/1 की शासकीय तथा आबादी भूमि में पट्टा प्राप्त हुआ है, किंतु अनावेदक के द्वारा वादग्रस्त भूमि जो कि सड़क मद की शासकीय नजूल भूमि है पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, यदि अनावेदक के द्वारा उक्त भूमि पर निर्माण कार्य कर लिया जाता है तो आवेदक / वादी की अपनी भूमियों पर आने जाने का एक मात्र रास्ता खसरा कं. 987 / 2 की शासकीय सड़क मद की भूमि पर अतिक्रमण होने से बंद हो जावेगा।
- 8. इस संबंध में अनावेदक की ओर से यह अभिवचन किया गया है कि वह भूमिहीन और अतिगरीब व्यक्ति होने के कारण 15—20 वर्षों से झोपड़ी बनाकर निवास कर रहा है और इसी आधार पर आवेदक शासन द्वारा पट्टा उक्त भूमि पर पट्टा प्राप्त किया गया है और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान निर्माण हेतु धनराशि प्रदान की गई है, जिससे कि उनके द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है, उनके द्वारा आवेदक की भूमि की उत्तरी सीमा से 15 फीट की दूरी पर पट्टे के अंतर्गत चौर्थी चतुर्सीमा के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है, यदि उनके निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न की जाती है तो उनको शासकीय योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि रोक दी जाएगी और ऐसी भीषण उण्ड में उन्हें अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ेगा तथा तहसीलदार द्वारा आवेदक को लाम पहुंचाने की नियत से तहसीलदार कि समक्ष आवेदक का आवेदन प्रस्तुत होने के एक दिन पहले ही पटवारी से दिनांक 17.11.17 के आवेदन पर जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर स्थगन आदेश पारित किया गया जो कि आवेदक के प्रभाव व उसकी पहुंच को स्पष्ट करता है। अतः वादी का आवेदन विधिसंगत न होने से निरस्त किया जावे।
- 9. प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि वादी 87/3क, 3ख एवं 3 ग का स्वामी है तथा वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज से यह स्थिति भी स्पष्ट है कि वादी के द्वारा एक ही दिनांक को इस प्रकरण के प्रतिवादी कलाबाई एवं अन्य प्रकरण के प्रतिवादी सुरेश व पुष्पेन्द्र के विरूद्ध एक ही आधार पर पृथक—पृथक दावा प्रस्तुत किया गया है और उन दावों में एक समान कार्यवाही की जा रही

है। यह भी स्वीकृत स्थिति है कि उक्त तीनों अनावेदकगण को शासकीय योजना के अंतर्गत शासन से पट्टा प्राप्त हुआ है और उन तीनों के द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है और यह स्थिति भी अभिलेख पर है कि इन तीनों के द्वारा एक लाईन में मकान बनाये जा रहे हैं और पट्टे में भी उल्लिखित चतुरसीमा में एक दूसरे अनावेदक का नाम दर्ज है।

- प्रकरण में मुख्य विवाद यह है कि वादी का ऐसा अभिवचन है कि उसकी रजिस्ट्री में उत्तर दिशा में खसरा नं. 87 / 2 की भूमि पर रास्ता होने का उल्लेख है और अनावेदक के द्वारा उक्त रास्ते पर निर्माण कार्य करते हुए उसका रास्ता रोके जाने का प्रयास किया जा रहा है, आवेदक के आवेदन पर तहसीलदार के द्वारा पटवारी से प्रतिवेदन मंगवाया गया है, जिसमें पटवारी के द्वारा यह स्पष्ट उल्लिखित किया गया है कि अनावेदक के द्वारा निर्माण कार्य आवेदक की भूमियों से 15 फीट रास्ता छोड़ते हुए उत्तर दिशा में किया जा रहा है, जिसमें पटवारी ने अनावेदक के पास 87 / 1 की भूमि का पट्टा होना बताया है और उसके द्वारा 87/2 की भूमि पर निर्माण कार्य किया जाना प्रतिवेदित किया है, आवेदक के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में उत्तर दिशा में रास्ते का उल्लेख है, किंतु यह उल्लेख नहीं है कि उक्त रास्ता कितने फीट का है तथा उभय पक्ष की ओर से जो फोटोग्राप्स प्रस्तुत किये गये हैं, उससे भी यह स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि काफी चौड़ा रास्ता छोड़ते हुए एक लाईन से अनावेदक और अन्य लोगों के द्वारा मकान बनाये गये हैं, उक्त तीनों अनावेदक के अतिरिक्त भी उक्त लाईन में बहुत सारे मकान पूर्व से बने हुए हैं। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि केवल उक्त प्रकरण के अनावेदक एवं अन्य दो प्रकरण के अनावेदक द्वारा ही मकान का निर्माण कराया जा रहा है। अतः अनावेदक के किसी निर्माण से आवेदक का कोई रास्ता अवरूद्ध हो रहा है, यह स्पष्ट रूप से दर्शित नहीं हो रहा है और आवेदक ने अपने आवेदन में स्वयं की भूमि पर अनावेदक के द्वारा अतिक्रमण किये जाने का अभिवचन किया है, किंतु सीमांकन प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि अनावेदक के द्वारा आवेदक की भूमि के पश्चात् उत्तर दिशा में रास्ते की 15 फीट भूमि को छोड़ते हुए निर्माण कार्य किया जा रहा है। 🔀
- 11. आवेदक की ओर से यह तर्क किया गया है कि अनावेदक के पट्टे में खसरा नं 87/1 लिखा गया है जबिक अनावेदक के द्वारा 87/2 पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। आवेदक की ओर से यह भी तर्क किया गया है कि अनावेदक उक्त स्थान पर कभी काबिज नहीं रहा है, उनके द्वारा अपने आधिपत्य के सबंध में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबिक अनावेदक का यह अभिवचन है कि वह उक्त भूमि पर 15—20 वर्षों से झोपड़ी बनाकर काबिज है, इसलिए उन्हें उक्त भूमि का पट्टा प्राप्त हुआ है और शासकीय योजना के अंतर्गत भी उन्हें मकान निर्माण हेतु राशि प्राप्त हो रही है, जिसके संबंध में उनके द्वारा नगरपालिका का प्लान भी प्रस्तुत किया गया है।
- 12. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया है कि अनावेदक की ओर से वादग्रस्त स्थल पर उनका पूर्व आधिपत्य के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, और यह भी तर्क किया है कि उनके द्वारा पट्टे को कोई चुनौती नहीं दी जा रही है और वह स्वीकार करते हैं कि अनावेदक को पट्टा प्राप्त हुआ है, आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रतिवादी के पट्टे का अवलोकन करने से दर्शित होता है कि उक्त पट्टे में ही स्पष्ट उल्लिखित है कि झुग्गी बस्तियों में निवासरत 31 दिसंबर 2012 तक काबिज लोगों को जमीन के पक्के पट्टे और इसी आधार

पर उन्हें 2013 में पट्टा प्रदान किया गया है तथा उक्त पट्टे में खसरा कं का उल्लेख न होकर भूखण्ड कं. का उल्लेख है और यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जावे कि अनावेदक के द्वारा 87/1 की भूमि का पट्टा प्राप्त होने के पश्चात् भी निर्माण कार्य न करते हुए 87/2 की भूमि पर शासकीय योजना के अंतर्गत प्राप्त पैसे से निर्माण कार्य किया जा रहा है तो भी इस संबंध में तहसीलदार को आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पर कार्यवाही करनी चाहिए थी कि वह प्रतिवादी को बताये की उसे किस स्थान का पट्टा प्राप्त हुआ है और उसे किस स्थान पर निर्माण कार्य करना है, चूंकि शासन से प्राप्त पट्टे की भूमि पर शासन द्वारा दी गई राशि का सही उपयोग हो, इसकी जिम्मेदारी शासन की है, किंतु तहसीलदार की ऐसी कोई कार्यवाही दर्शित नहीं हो रही है कि वह अनावेदक को बता दे कि उसे किस स्थान पर निर्माण कार्य करना है।

- उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत फोटोग्राप्स के अवलोकन से यह दर्शित है कि पूर्व से ही एक लम्बा रास्ता विद्यमान है और अनावेदक के द्वारा किया जा रहा निर्माण के पूर्व से ही उक्त लाईन में कई मकान बने हुए हैं, आवेदक को विकय पत्र में रास्ते के लिए कितनी भूमि छोड़ी गई है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है तथा उक्ते आम रास्ता दर्शित होता है, जिसका उपयोग आवेदक अपनी भूमि पर आने जाने के लिए करता है। अतः अनावेदक के किसी भी निर्माण कार्य से आवेदक को कोई बाधा पहुंच रही हो, ऐसा दर्शित नहीं होता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला आवेदक के पक्ष में दिखाई नहीं देता है, अनावेदक को शासन से पूर्व से काबिज स्थान पर पट्टा प्रदान किया गया है, जिस पर मकान निर्माण हेतु राशि आवंटित हुई है और उसके द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है, यदि उसकी निर्माण कार्यवाही को रोका जाता है तो निश्चित रूप से आवेदक / वादी के मुकाबले अनावेदक / प्रतिवादी को आर्थिक क्षति और असुविधा होने की संभावना है। अतः अपूर्णीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन भी आवेदक / वादी के पक्ष में दिखाई नहीं देता है।
- अतः अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों स्तंभ आवेदक / वादी के पक्ष में न 14. होने से आवेदक / वादी का उक्त आवेदन अंतर्गत आदेश—39 नियम 1 व 2 सी.पी. सी. आई.ए.नंबर—1 का विधिसंगत न होने से निरस्त किया जाता है। \chi
- ंड्स आदेश का प्रभाव प्रकरण के अंतिम निराकरण पर नहीं पड़ेगा। 15. सही / —
 (अपर्णा आर. शर्मा)
 तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1
 बालाघाट (म.प्र.) आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

सही / – (अपर्णा आर.शर्मा) तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 बालाघाट (म.प्र.)